मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742

क्रमांक/ /प्रनिबो/2020 भोपाल, दिनांक

बैठक का कार्यवाही विवरण

इन्दौर झोनल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा बैठक बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री एम.एस. धाकड़ जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर के सभाकक्ष संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए ।

1. श्री आर.के. गुप्ता, आंचलिक अधिकारी, इन्दौर सह क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर,
2. श्री के.एल. चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़, पीथमपुर
3. डा.डी.के. वागेला, मुख्य रसायनज्ञ, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर
4. श्री सुनील श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, धार
5. श्री एस.एन. पाटिल, मुख्य रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
6. श्री के.पी. सोनी, कार्यपालन यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
7. श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय, धार,
8. श्री अतुल कोटिया, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इन्दौर,
9. श्री अजय मिश्रा, कनिष्ठ यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर

बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. बैठक की शुरूआत में आंचलिक अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया व झोनल रिव्यू बैठक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके संबोधन में बोर्ड के मूल दायित्वों को रेखांकित करते हुए अवगत कराया गया कि बोर्ड का मूल दायित्व प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। जल प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण तथा मृदा प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए हमें अपने दायित्वों का निवर्हन विषम परिस्थितियों में भी करना है। आम जनता

को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने तथा उनसे प्राप्त शिकायतों का समयावधि में समाधानकारक निराकरण का दायित्व बोर्ड का है, जिसे सभी अधिकारियों को ध्यान में रखना है। पर्यावरण संरक्षण संवैधानिक दायित्व है अतः इस कार्यो में हमें आम-जन का सहयोग लेना चाहिये ।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं आंचलिक अधिकारी)

3. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जब भी किसी उद्योग को सम्मति का नवीनीकरण दिया जाता है अथवा अनुशंसा की जाती है तो संबंधित उद्योग को पूर्व में दिये गये सम्मति नवीनीकरण में दी गई शर्तो का पालन सुनिश्चित करने के साथ नवीन प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था निरंतर उन्नत कराने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई कि प्रदूषणकारी उद्योगो में जो रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए है वे निरंतर रूप से कियाशील रहें तथा इनकी कनेक्टिविटी भोपाल स्थित पर्यावरण निगरानी केन्द्र (ई.एस.सी.) से निरंतर बनी रहे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी दैनंदिक रूप से उपरोक्त उद्योगो के आर.एम.एस. का अवलोकन कर इनकी कियाशीलता देखेगें तथा यदि कोई पैरामीटर लगातार मानक सीमा से अधिक पाया जाता है तो दोषी उद्योगो को सूचना पत्र जारी कर सुधार के तत्काल निर्देश दिये जावे। शिकायतों के निराकरण तथा सम्मति नवीनीकरण के समय भी यह परफारमेंस विचार करना होगा ताकि उद्योग ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को कियाशील रखने हेतु बाध्य रहेंगे।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी, क्षेत्रीय अधिकारी एवं आंचलिक अधिकारी)

5. इन्वायरमेंट अलर्ट एप का समुचित प्रचार-प्रसार आमजन तथा छात्र-छात्राओं के बीच करने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम स्कूल-कॉलेजो के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये तथा यह अपेक्षा की गई कि अधिक से अधिक नागरिक इस एप का उपयोग करें। जिला स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी विभिन्न विभागों की बैठकों में इसका प्रचार-प्रसार करें। क्षेत्रीय अधिकारी/अन्य अधिकारी उनके क्षेत्र में इस एप के उपयोग के संबंध में पी.आर.ओ. के माध्यम से भी कार्यवाही कराने का सतत प्रयास करें।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी)

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योगो,संस्थानों, खदान प्रबंधन के सहयोग से अधिक से अधिक वृक्षारोपण यथा संभव लोकल प्रजाति के विशेष कर नीम,आम, पीपल, बरगद, आंवला के वृक्षारोपण पर फोकस करते हुए मुहिम चलाने के निर्देश दिये

गये तथा अपेक्षा की गई कि सभी जिलो में संचालित खदान क्षेत्रो/स्टोन क्रेशरों में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराया जावे।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/आंचलिक अधिकारी)

7. अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रयोगशाला प्रभारी को यह सुनिश्चित करने हेतु *कहा गया कि जिन मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सेम्पल कलेक्शन किया गया* है वह सेम्पल एनालिसिस का कार्य नही करेंगे। एनालिसिस कार्य प्रयोगशाला के स्टॉफ द्वारा ही किया जावेगा।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी)

8. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय अधिकारी तथा प्रयोगशाला प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड द्वारा स्वयं के व्यय से अथवा सी.एस.आर. के तहत जो भी डिस्प्ले बोर्ड शहरों में लगाये गये है, वे सुचारू रूप से लगातार कार्यरत रहें। साथ ही नगर निगम सहित अन्य एनजीओ आदि संस्थायें भी इस कार्य में सहयोग करना चाहें तो उन्हें भी प्रेरित करें।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्रयोगशाला प्रभारी)

9. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रयोगशालाओं द्वारा जो विश्लेषण रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें अनिवार्य रूप से मानक सीमा दर्शाई जावे एवं ऐसे पैरामीटर जो मानक सीमा से अधिक है, उनका कारण दर्शाया जावे, ताकि विश्लेषण रिपोर्ट उद्योगों में आवश्यक सुधार हेतु उपयोगी हो सके। प्रदूषण की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन को नजरंदाज नहीं करें, कारण खोज कर निराकरण/समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी)

10. पॉलीथीन का उपयोग रोकने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि स्थानीय निकायों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर यथोचित कार्यवाही के साथ-साथ यह भी देखें कि बाजार में पॉलीथीन किस राज्य/शहर/स्थान से विक्रय हेतु लाई जा रही है। पॉलीथीन का उपयोग रोकने हेतु स्त्रोत पर प्रभावी कार्यवाही ज्यादा सार्थक होगी। साथ ही व्यापक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जारी रखे जायें, ताकि जन सहयोग से अधिक सफलता मिल सके।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

11. बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में होनेवाले निर्माण/उन्नयन कार्यों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि निर्माण संबंधी कार्यवाही हेतु टेंडर आदि की प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ही संपन्न की जावेगी । तदानुसार क्षेत्रीय अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

क्षेत्रीय कार्यालयवार प्रस्तुतीकरण एवं निर्देश

क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर :-

क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा ऐजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई व अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये :-

1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कं. 593/2017, 673/2018 में दिये गये निर्देशानुसार सभी स्थानीय निकाय समय सीमा में एस.टी.पी. की स्थापना पूर्ण करें। एस.टी.पी. के संचालन की निगरानी हेतु रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु नगरीय निकायों को मुख्यालय से निर्देश जारी किए गये हैं, का पालन सुनिश्चित कराया जावे।

(कार्यवाही :- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

2. क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा प्रकरण कं. 46/2018, जो डेयरी फार्म्स तथा गौशालाओं से संबंधित है के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई व पर्यावरणीय नियमों को लागू करने में मैदानी स्तर पर आ रही कठिनाई से अवगत कराया गया। चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि राज्य स्तर पर अंर्तविभागीय समिति का गठन कराया जावे, जिसमें कमशः प्रमुख सचिव, पशु पालन विभाग, गौसंवर्धन बोर्ड, नगरीय विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों को रखा जावे। क्षेत्रीय अधिकारी संभागीय आयुक्त से समन्वय कर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की पहल करें।

(कार्यवाही :- बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय अधिकारी)

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण कं. 400/2017 जो मैरिज गार्डन/होटल/रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित है, में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड़लाईन के पालन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा संबंधित संस्थाओं को चिन्हित कर उन्हे बोर्ड से नियमानुसार सम्मति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। संस्थाओं द्वारा बोर्ड में इस

बाबद आवेदन भी किया गया है, परन्तु सम्मति हेतु संबंधित नगरीय निकाय की अनापत्ति वांछित होती है, जो विभिन्न कारणों से उक्त संस्थाऐं प्रस्तुत नही कर पाती है। संस्थाऐं जल एवं वायु अधिनियम के प्रावधानों को पालन हेतु तैयार है परन्तु सी.पी.सी.बी. की गाईड लाईन में ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की अनुमति, नगरीय निकाय की अनुमति, ट्राफिक पुलिस की अनुमति संबंधी दायित्व की पूर्ति उक्त संस्थाओं से प्राप्त नही होती है, जिसके कारण इन संस्थाओं को बोर्ड द्वारा सम्मति देने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उपरोक्त संबंध में बोर्ड मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित कर मैदानी स्तर पर आ रही कठिनाईयों के व्यवहारिक निराकरण हेतु कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्रीय अधिकारी संभागीय आयुक्त से समन्वय कर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराकर स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित कराने की पहल करें।

(कार्यवाही :- बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं क्षेत्रीय अधिकारी)

4. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा सूचित किया गया कि, जी.सी.-एम.एस., ए.ए.एस. उपकरण की खरीदी का प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय भोपाल में लंबित है जिसके कारण सी.पी.सी.बी. द्वारा चाहे अनुसार विभिन्न पैरामीटर का विश्लेषण नही हो पा रहा है। इसी प्रकार बीटीएक्स एनालाईजर के संधारण एवं ए.एम.सी. हेतु प्रस्ताव मुख्यालय में लंबित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रयोगशाला प्रभारी को आगामी 02 दिवस के भीतर प्रकरणों की चर्चा मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, भोपाल से करने के निर्देश दिये गये व आश्वस्त किया गया कि मुख्यालय द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(कार्यवाही :- मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, भोपाल एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इन्दौर)

<u>क्षेत्रीय कार्यालय, धार</u> :-

क्षेत्रीय अधिकारी, धार द्वारा ऐजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई व अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये :-

1. क्षेत्र के 06 उद्योगो द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन नियम के तहत प्राधिकार प्राप्त करना शेष है। अतः क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा समय-सीमा में कार्यवाही की जावे।
2. बोर्ड द्वारा उद्योगो के सम्मति/ नवीनीकरण हेतु 45 दिन की सीमा तय की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी धार समय सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे व वर्तमान में समय सीमा से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण 07 दिवस के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

3. क्षेत्रीय अधिकारी बैटरी नियम के अंतर्गत चिन्हित सभी डीलर्स को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन जारी करने की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर अवगत करावेंगे।
4. गतवर्षो में कराये गये वृक्षारोपण की स्थिति संतोषजनक नही पाई गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्र के उद्योगो को अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये।
5. अध्यक्ष महोदय द्वारा मेघनगर में स्थापित रासायनिक उद्योगो की निरंतर निगरानी के निर्देश दिये गये।
6. वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय धार का संचालन क्षेत्रीय कार्यालय भवन इंदौर से किया जा रहा है, जब कि पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि धार कार्यालय का संचालन जिला धार मुख्यालय से ही किया जावेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी धार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

<u>क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़ :-</u>

क्षेत्रीय अधिकारी, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़, द्वारा ऐजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई व अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के परिसंकटमय अपशिष्टो की इन्वेन्टरी एवं वार्षिक प्रतिवेदन भेजना शेष है। यह कार्यवाही 07 दिवस के भीतर पूर्ण कर बोर्ड मुख्यालय भोपाल भेजी जावे।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़ के अंतर्गत स्थापित समस्त लघु श्रेणी के 17 प्रकार के उद्योगो में ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम/पी.टी.जेड़ कैमरा स्थापित कराना सुनिश्चित किया जावे।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़ द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड का कार्यालय विकास भवन में संचालित है, जगह काफी कम है। पूर्व में पीथमपुर में बोर्ड का स्वयं का भवन निर्माण करने का प्रस्ताव प्रचलन में था, इस हेतु ए.के.व्ही.एन. से जमीन प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही भी की गई थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर के भवन एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर के भवन के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी भेजने हेतु निर्देश दिये गये :-

   (अ) मौखिक रूप से बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया था कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन प्राप्त कर भवन बनाने का प्रस्ताव प्रचलन में है। अतः यदि भवन पीथमपुर में बनाया जाता है तो इन्दौर कार्यालय भवन के विस्तार की आवश्यकता नही होगी।

(ब) अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, पीथमपुर को निर्देश दिये कि वे ए.के. व्ही.एन. से भूमि आवंटन संबंधी प्रगति की संक्षिप्त टीप 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर वह क्षेत्रीय कार्यालय पीथमपुर का निरीक्षण करना चाहेगें एवं तत्पश्चात प्रकरण पर समग्र रूप से विचार कर क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के भवन का उन्नयन अथवा पीथमपुर में क्षेत्रीय कार्यालय, भवन निर्माण के संबंध में आगामी निर्णय लिया जावेगा।

(कार्यवाही :- क्षेत्रीय अधिकारी, पीथमपुर)

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ कमांक/1803/प्रनिबो/2020 भोपाल, दिनांक 01-10-2020

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी एवं समस्त यूनिट हेड़, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. श्री आर.के. गुप्ता, आंचलिक अधिकारी, इन्दौर सह क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. श्री के.एल. चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर एवं एस.ई.जेड़, पीथमपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. डा०. डी.के. वागेला, मुख्य रसायनज्ञ, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. श्री सुनील श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल